संख्या–पी–109 / 81–2–2020–800(122) / 2020

प्रेषक

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 23 नवम्बर, 2020

विषयः– जनपद झांसी में झांसी–भगवन्तपुरा–मऊरानीपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–39 के किमी0 संख्या–01 से 04 तक बांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना फेस–1 के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने जाने में प्रभावित 0.40 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में (प्रस्ताव सं0–एफपी / यूपी / वाटर / 47013 / 2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1141 / 11–सी–एफपी / यूपी / वाटर / 47013 / 2020, ,दिनांक 12–11–2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत निम्न कमियां पायी गयी हैः–

(1) पार्ट–1 के बिन्दु– ई–1(एक्स) में समय–सीमा (अवधि)कुल 50 वर्षो हेतु प्रस्तावित है। जबकि पृष्ठ– 43 पर रक्षित प्रमाण पत्र में 30 वर्ष अंकित है। समयावधि में अंतर क्यों है, स्पष्ट किया जाय?

(2) परियोजना की अवधि के संबंध में भूस्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) की सहमति प्राप्त है अथवा नही ? स्पष्ट कराते हुये समयावधि भी अंकित किया जाय।

2– अतः उपरोक्त कमियों का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) वन संरक्षक, झांसी।
(2) प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
(3) श्री आशीष कुमार रावत सहायक परियोजना अभियंता, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम झांसी।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1214 / 11–सी– FP/UP/Water/47013/2020, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 23 ,2020

प्रतिलिपि– वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– श्री आशीष कुमार रावत, सहायक परियोजना अभियन्ता, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ